(54)

R 617-I-17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

1. जेनव पति श्री अल्लू मुसलमान, निवासी– 3, अंदरबस्ती इंदरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.)
2. अजमेरी पुत्र श्री अल्लू खॉ, निवासी बलराम कॉलोनी इंदरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.) – आवेदकगण

विरूद्ध

1. कल्लू खान पुत्र श्री नूरखॉ,
2. लल्ली उर्फ सुबराती पुत्र नूरखान, निवासी वार्ड क्र.3, इंदरगढ, जिला दतिया (म.प्र.)
3. इदा पुत्री श्री नूरखॉ पुत्र सकूर खॉ, निवासी– आलमपुर, बस स्टेण्ड के पास, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.)
4. बिट्टा पुत्री श्री नूरखॉ पति स्व. सुबराती खॉ, निवासी आलमपुर, तहसील लहार,जिला भिण्ड (म.प्र.)
5. नजमा पुत्री नूर खॉ पति कुद्दू निवासी तालबेहट, जिला ललितपुर (उ.प्र.)
6. सजमा पुत्री श्री नूर खॉ पति रमजानी, निवासी तालबेहट, जिला ललितपुर (उ.प्र.)
7. इस्मइल पुत्र श्री अल्लू खॉ,
8. पप्पू पुत्र श्री अल्लू खॉ, निवासीगण बलराम कॉलोनी, इंदरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.)
9. बत्तो पुत्र श्री अल्लू खॉ, पत्नी अहमदखॉ, निवासी – मेन बाजार सब्जी मण्डी, दबोह, जिला भिण्ड (म.प्र.)

— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 617—एक/2017 जिला—दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा[षकों] आदि के हस्ताक्षर
23.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेंबढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 13/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.1.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **अपर आयुक्त ग्वालियर**	